क्रम-संख्या–206(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 नवम्बर, 2024

अग्रहायण 7, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–12

संख्या यू0ओ0 87/6-पु0-12–2024

लखनऊ, 28 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0–317

चूंकि राज्यपाल की राय है कि कस्बा–सम्भल, थाना–कोतवाली संभल, जनपद–सम्भल में माननीय न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद बनाम हरिहर मन्दिर विवाद में आदेशित सर्वे के दौरान दिनांक 24.11.2024 को हुई हिंसक घटना, कोई पूर्व नियोजित षड़यंत्र थी अथवा एक सामान्य आपराधिक वारदात, जिसके कारण तमाम पुलिस कर्मी चोटिल हुए, चार व्यक्तियों की मौत हुई एवं सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ, की जनहित में जाँच आवश्यक है ।

2–अतएव विषयवस्तु की व्यापकता एवं जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–60, सन् 1952) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतदद्वारा निम्नलिखित तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग श्री देवेन्द्र कुमार अरोड़ा मा० न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, गठित करती हैः–

(I) श्री देवेन्द्र कुमार अरोड़ा, मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), इलाहाबाद उच्च न्यायालय –अध्यक्ष

(II) श्री अमित मोहन प्रसाद, (सेवानिवृत्त आई०ए०एस०)–सदस्य

(III) श्री अरविन्द कुमार जैन, (सेवानिवृत्त आई0पी0एस0)–सदस्य

3–आयोग द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2024 की उक्त घटना की जांच की जायेगी और जांचोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी :–

(क) घटना के अचानक होने अथवा सुनियोजित एवं किसी आपराधिक षड़यंत्र का परिणाम होने के पहलुओं की जांच करना;

(ख) जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा घटना के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु किये गये प्रबन्ध एवं उनसे सम्बन्धित अन्य पहलुओं की जांच करना;

(ग) उन कारणों एवं परिस्थितियों का अभिनिश्चय करना जिनके कारण उक्त घटना घटित हुई;

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में सुझाव देगा।

4–चूंकि, राज्यपाल की यह भी राय है कि प्रश्नगत जांच की प्रगति और प्रकरण से सम्बन्धित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, अतएव उक्त अधिनिमय की धारा–5 की उपधारा (1) के अधीन अग्रेतर निर्देश देतीं है कि उक्त धारा–5 की उपधारा (2), (3), (4) एवं (5) के उपबन्ध इस आयोग पर लागू होंगे।

5–आयोग इस अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार के आदेश पर किया जा सकेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. UO-87/chha-pu-12-2024 dated November 28, 2024.

No. UO-87/chha-pu-12-2024

Dated Lucknow, November 28, 2024

Whereas the Governor is of the opinion that it is necessary to conduct an inquiry in the public interest in relation to the violent incident that took place on 24.11.2024, during the survey of disputed Jama Masjid- Harihar Mandir Site in Town Sambhal, Police Station- Kotwali Sambhal, District-Sambhal during the compliance of the order passed by the Hon'ble Court in which many Police personnel were injured, four persons lost their lives, and various properties were damaged.

2. Now, therefore, in view of the comprehensiveness of the subject matter and to ensure transparency and quality of inquiry, in exercising the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (Act No. 60 of 1952), the Governor hereby constitutes the following three-member Judicial Inquiry Commission to be headed by Hon'ble Justice Shri Devendra Kumar Arora (Retired), Hon'ble High Court, Allahabad, with its headquarters at Lucknow :-

(1) Justice Shri Devendra Kumar Arora (Retired), Hon'ble High Court, Allahabad - Chairman

(2) Shri Amit Mohan Prasad (Retired, IAS)- Member

(3) Shri Arvind Kumar Jain (Retired, IPS)- Member

3. The Commission will examine the aforesaid incident that happened on November 24, 2024 and submit a report on the following :-

(a) To inquire the aspects whether the incident was sudden or was well planned and the result of a criminal conspiracy;

(b) To inquire into the arrangements made by the District Administration and Police for maintaining law and order during the incident and other aspects related thereto;

(c) To ascertain the reasons and circumstances due to which the said incident took place;

(d) To give suggestions regarding non- recurrence of such type of incidents in future.

4. Whereas, the Governor is also of the opinion that having regard to the nature of the inquiry in question and other circumstances relating to the case, it is necessary to do so, she hereby further directs under sub-section (1) of Section 5 of the said Act that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the said Section 5 shall apply to this Commission.

5. The Commission shall complete the inquiry within a period of two months from the date of the issue of this notification. Any change in its tenure shall be at the behest of the Government.

By order,

DEEPAK KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 370 राजपत्र–2024–(910)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 38 सा0 गृह पुलिस–2024–(911)–150 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।